रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 204] नई दिल्ली, सोमवार, मई 24, 1982/ज्येष्ठ 3, 1904
No. 204] NEW DELHI, MONDAY, MAY 24, 1982/JYAISTHA 3, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 मई, 1982

का० आ० 344(अ)/18 कक/आई० डी० आर० ए०/81—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का आ० 826(अ) 18 कक आई०डी० आर० ए/76 तारीख 25 नवम्बर, 1976 द्वारा [जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951] (1951 का 65) की धारा 18 कक की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन मैसर्स पुलगांव काटन मिल्स लिमिटेड, पुलगांव नामक औद्योगिक उपक्रम का पूर्ण प्रबंध 24 नवम्बर, 1981 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जिसमे यह तारीख भी सम्मिलित है, ग्रहण कर लिया था और उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट टैक्सटायल कारपोरेशन को प्राधिकृत किया गया था;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 825(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/81 तारीख 24 नवम्बर, 1981 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 24 मई, 1982 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध 24 अगस्त, 1982 तक तीन मास की और अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, महाराष्ट्र स्टेट टैक्सटाइल्स कार्पोरेशन के अधीन बना रहे;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि उक्त आदेश 24 अगस्त, 1982 तक, तीन मास की और अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है प्रभावी बना रहेगा।

[फा०सं० 3/17/75-सी०यू०सी०एस०]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 24th May, 1982

S.O. 344(E)/18AA/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 826(E)|18AA|IDRA|76, dated the 25th November, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Pulgaon Cotton Mills Limited, Pulgaon, was taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years upto and inclusive of the 24th November, 1981 and the Maharashtra State Textile Corporation was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Develop-

ment) No. S.O. 825(E)|18AA|IDRA|81, dated the 24th November, 1981, the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 24th May, 1982;

An, whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Maharashtra State Textile Corporation for a further period of three months upto and inclusive of the 24th August, 1982;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of three months upto and inclusive of the 24th August, 1982.

[File No. 3|17|75-CUS]

का० आ० 345(अ)/18 चख/आईडीआरए.—केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 826(अ)/18 चख/आईडी आर ए/76 तारीख 23 दिसम्बर, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा घोषित किया था कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी या किसी संविदा, सम्पत्ति, हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों (महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत स्पष्ट नकद प्रत्यय सीमा के अधीन परादेय रकम के विस्तार तक भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिदायित्वों को और नकद प्रत्यय लेखा (साधारण) में से मिल द्वारा निकाली गई रकमों को, जहां तक कि वे वर्तमान आस्तियों के अन्तर्गत है, छोड़कर) में प्रवर्तन जिनका मैसर्स पुलगांव काटन मिल्स लिमिटेड, पुलगांव नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हो सकते हैं, ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार विशेषाधिकार बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे;

और उक्त आदेश की अवधि समय-समय पर बढ़ा दी गई थी जिसमें से अन्तिम बढ़ाई गई अवधि 24 मई, 1982 तक के लिए जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 24 अगस्त, 1982 तक की और अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी जानी चाहिए;

अत:, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 24 अगस्त, 1982 तक के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[फा० सं० 3(17)/75-सीयूएस]

सी०के० मोदी, संयुक्त सचिव।

S.O. 345(E)|18FB|IDRA|82.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 826(E)|18FB|IDRA|76, dated the 23rd December, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operations of all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order [other than the liabilities to the State Bank of India to the extent of the amounts outstanding on the clean cash credit limit guaranteed by the Government of Maharashtra and the amounts drawn by the mill against the cash credit account (ordinary) to the extent these are covered in the current assets] to which the industrial undertaking known as Messrs Pulgaon Cotton Mills Limited, Pulgaon, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period ;

And whereas the duration of the said Order was extended from time to time, the last of such extensions being upto and inclusive of the 24th May, 1982 ;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto and inclusive of the 24th August, 1982 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferrtd by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 24th August, 1982.

[File No. 3(17)|75-CUS]

C. K. MODI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982